



इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची आई.आर.सी.टी.सी.ई-टिकटिंग सेवा (पर्सनल उपयोगकर्ता)



1. आप भेजे गए ई-टिकट एसएमएस या ईआरएस के स्क्रीन शॉट यानी वर्चुअल रिजर्वेशन मेसेज (वीआरएम) के साथ वास्तविक पहचान पत्र लेकर यात्रा कर सकते हैं। यह टिकट पहचान पत्र (मूलरूप) के साथ ही मान्य होगा। कृपया पहचान पत्र (मूलरूप) के साथ यात्रा करें। यदि कोई यात्री मूल पहचान पत्र के बिना यात्रा करता है, तो बिना टिकट माना जाएगा और वर्तमान रेलवे नियमों के अनुसार प्रभार शुल्क लगाया जाएगा। कृपया पेपर और पर्यावरण को बचाएं और ईआरएस मुद्रित (प्रिंट) न करें, जब तक ऐसा करने के लिए बेहद जरूरी नहीं हो।

2. केवल कंफर्म/आरएसी/आंशिक रूप से कंफर्म ई-टिकट ही यात्रा के लिए मान्य हैं।

3. पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची वाला ई-टिकट यात्रा के लिए अमान्य है यदि यह चार्ट तैयार करने के बाद टिकट पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची में रहता है तो बुकिंग राशि की वापसी बुकिंग के लिए उपयोग किए गए खाते में जमा की जाएगी। पूरी तरह से प्रतीक्षारत ई-टिकट पर यात्रा करना अवैध है।

4. ई-टिकट के बुकिंग पर ट्रेन यात्रा के दौरान एक यात्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मान्य आईडी कार्ड:- मतदाता पहचान कार्ड / पासपोर्ट / पैनकार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोआईडी कार्ड / मान्यता प्राप्त स्कूल या कालेज के छात्र पहचान पत्र/ तस्वीर के साथ जारी राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक / तस्वीर के साथ जारी क्रेडिट कार्ड / आधार कार्ड, एम-आधार, ई-आधार। / राज्य / केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिला प्रशासन, नगर निकाय और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी किए गए क्रम संख्या वाले फोटो पहचान पत्र / यात्री अपने डिजिटलॉकर अकाउंट में लॉग-इन कर के "इश्युड डॉक्यूमेंट" सेक्शन से आधार/ड्राइविंग लाइसेंस दिखता है तो इसे पहचान के वैध साक्ष्य के रूप में माना जाएगा (उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज अर्थात "अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स" सेक्शन के दस्तावेज, पहचान के वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे)।

5. सर्विस अकाउंटिंग कोड (एसएसी) 996411: 150 किलोमीटर तक की दूरी तक के लिए रेलवे द्वारा यात्रियों की स्थानीय भूमि परिवहन सेवाएं सर्विस अकाउंटिंग कोड (एसएसी) 996416: पर्यटन टिकट के लिए रेलवे द्वारा पर्यटन स्थलों की यात्रा करना सर्विस अकाउंटिंग कोड (एसएसी) 996421: 150 किमी से अधिक दूरी के लिए रेलवे द्वारा यात्रियों की लंबी दूरी की परिवहन सेवाएं

6. इस टिकट को बुक करते समय, आपने अपनी यात्रा के गंतव्य के स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को पढ़ने की सहमति दी है। आपको फिर से सलाह दी जाती है कि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले गंतव्य राज्य के स्वास्थ्य प्रोटोकॉल सलाहकार को स्पष्ट रूप से पढ़ें और उनका ठीक से पालन करें।

पीएनआर संख्या: 6242113604	गाड़ी संख्या एवं नाम : 01062 / DBG LTT SPL	कोटा: TATKAL (TQ)
ट्रांजेक्शन संख्या: 100002373281385	बुकिंग की तिथि: 29-Jul-2020 11:02:57 HRS HRS	श्रेणी: SLEEPER CLASS (SL)
कहाँ से: VARANASI JN(BSB)	यात्रा की तिथि: 30-Jul-2020	कहाँ तक: LOKMANYATILAK T(LTT)
गाड़ी में चढ़ने का स्टेशन: VARANASI JN(BSB)	गाड़ी में बैठने की तिथि: 30-Jul-2020	निर्धारित प्रस्थान समय: N.A.
कहाँ तक आरक्षण: LOKMANYATILAK T(LTT)	निर्धारित आगमन समय: N.A.	वयस्क: 2 बच्चे: 0
यात्री का मोबाइल नंबर: 9702002772		दूरी: 1472KM
यात्री का पता:	Jaihind nagar Sonapur Mankhurd~Mumbai, MUMBAI, MAHARASHTRA - 400043	
N I(NEW TIME TABLE FROM 01-0		
7-2020 CHECK TIME BEFORE BOARDIN		
G)		

किराये का विवरण :

टिकट किराया **	₹ 1580.0	एक हजार पांच सौ अस्सी रुपये तथा शून्य पैसा
आईआरसीटीसी सुविधा शुल्क (जीएसटी सहित) #	₹ 11.8	ग्यारह रुपये तथा अस्सी पैसा
कुल किराया (सब मिलाकर)	₹ 1591.8	एक हजार पांच सौ इक्यानबे रुपये तथा अस्सी पैसा

ई टिकट सुविधा शुल्क प्रति टिकट यात्रियों की संख्या पर ध्यान दिए बिना

यात्री का विवरण :

क्रम सं	नाम	आयु	लिंग	बुकिंग स्थिति	वर्तमान स्थिति
1	BRIJESH	28	Male	CNF/S8/2/MIDDLE	CNF/S8/2/MIDDLE
2	RAMDHARI	35	Male	CNF/S8/3/UPPER	CNF/S8/3/UPPER

भारतीय रेलवे जीएसटी विवरण :

चालान संख्या : PS20624211360411 पता: Indian Railways New Delhi

आपूर्तिकर्ता की जानकारी		प्राप्तकर्ता की जानकारी			कर योग्य राशि	सीजीएसटी		एसजीएसटी/यूजीएसटी		आईजीएसटी		कुल कर
एसएसी कोड	जीएसटीआईएन	जीएसटीआईएन	नाम	पता		दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	
996421	07AAAGM0289C1ZL				1580.0							0.0

यह टिकट व्यक्तिगत उपयोगकर्ता आईडी पर बुक की गई है और किसी एजेंट द्वारा नहीं बेची जा सकती है। इसकी बिक्री / खरीद रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 143 के तहत अपराध है।

आपूर्ति का स्थान: VARANASI JN(BSB) आपूर्तिकर्ता का राज्य कोड / नाम : 0

टिकट मुद्रण का समय: 29-Jul-2020 11:03:21 HRS

IR recovers only 57% of cost of travel on an average.

महत्वपूर्ण सूचनाएँ :

यह बुकिंग COVID-19 के तहत स्पेशल ट्रेन में के गई है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची के जरूरी निर्देश संख्या 3, 10 और 11 लागू नहीं होंगे। कृपया IRCTC की ई-टिकटिंग वेबसाइट पर उपलब्ध अलर्ट सेक्शन में मुख्य विशेषताएं देखें अथवा [यहाँ क्लिक करें](#)।

1. ई - टिकटिंग सेवाओं के नियम और शर्तों की जानकारी के लिए, कृपया www.irctc.co.in विजिट करें।
2. मेल के माध्यम से भेजा गया VRM / ERS में छपे प्रस्थान व आगमन समय, गाड़ी के वर्तमान प्रस्थान व आगमन समय में अंतर हो सकता है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा प्रारंभ करने से पहले रेलवे पृष्ठताछ संख्या 139 पर फोन कर या 139 पर संदेश भेज कर सही प्रस्थान व आगमन समय सुनिश्चित कर लें।
3. धन वापसी के नियम के प्रावधानों में कुछ संशोधन है। धन वापसी के संशोधित नियम 12 -11 -2015 से लागू है। (विस्तृत जानकारी www.irctc.co.in पर सामान्य जानकारी -टिकट रद्दीकरण और वापसी नियम 12 नवंबर 2015 से प्रभावी शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है)।
4. आरक्षित बर्थ स्थानांतरित नहीं की जा सकती है और यह तभी वैध है जब कोई भी एक मूल पहचान पत्र यात्रा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। यात्री के पास यात्रा के दौरान SMS /इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची / वर्चुअल आरक्षण संदेश उपलब्ध नहीं है तो 50 रुपये शुल्क प्रति टिकट, टिकट जांच कर्मचारी द्वारा लिया जायेगा और उस के बदले में अतिरिक्त किराया टिकट जारी की जाएगी।
5. आवेदक को इंटरनेट के माध्यम से अपनी टिकट www.irctc.co.in पर रद्द करने की अनुमति है।
6. वह पी एन आर जो की पूर्णतया प्रतीक्षासूची में है, ऐसे टिकटों पर उन यात्रियों का नाम चार्ट पर नहीं दिखेंगे। उन्हें रेलगाड़ी पर चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। परन्तु आंशिक रूप से प्रतीक्षासूचीबद्ध/कन्फर्म/आरएसी सूचि वाले यात्रियों का नाम चार्ट पर होंगे।
7. आंशिक रूप से प्रतीक्षारत ई-टिकट के मामले में टीटीई/ कंडक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त करें, (A)बुक यात्री के यात्रा न करने पर, (B)एसी काम नहीं करने पर, (C)निम्न श्रेणी में यात्रा करने पर। धनवापसी का दावा करने के लिए ऑन लाइन टी डी आर निर्धारित समय में दर्ज कर टीटीई से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र GGM (आईटी), आईआरसीटीसी, इंटरनेट टिकटिंग सेंटर, आईआरसीए बिल्लिंग, स्टेट एंटी रोड नई दिल्ली 110055 पर भेजा जाना चाहिए।
8. किसी यात्री का ई टिकट आंशिक रूप से प्रतीक्षारत ई टिकट/आरएसी/पूर्णतया प्रतीक्षारत हो और वह यात्रा नहीं करता तो उन सभी यात्रियों को ऑन लाइन टी डीआर रेलवे धन वापसी के नियमों के अनुसार निर्धारित समय में दर्ज किया जाना चाहिए। धन वापसी रेलवे धन वापसी नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा की जायेगी।
9. आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.co.in पर टीडीआर धनवापसी का अनुरोध पंजीकृत करने पर क्षेत्रीय रेलवे द्वारा धनवापसी नियमों के अनुसार कारवाई की जाती है। (विस्तृत जानकारी www.irctc.co.in पर महत्वपूर्ण जानकारी शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।
10. कंफर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्द की जा सकती है। लेकिन ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 4 घंटे पहले रद्द की गई टिकट पर ही धनवापसी होगी।
11. आरएसी/आंशिक कंफर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्द की जा सकती है। हालांकि धनवापसी रेलवे के मौजूदा धनवापसी प्रावधानों के तहत होगी।
12. एक से अधिक यात्रियों की यात्रा के लिए जारी की गई पार्टी टिकट या कुटुंब टिकट की दसा में, जब कुछ यात्रियों का टिकट पुष्टिकृत है और अन्य का आर ए सी या प्रतीक्षासूचि में है तो पुष्टिकृत यात्रियों को भी लिपिकीय प्रभार कम करने के पश्चात किराए का पूर्ण प्रतिदाय इस शर्त के अधधीन अनुज्ञेय होगा की ये टिकट ऑनलाइन रद्द करेंगे या रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय से तीस मिनट पहले तक सभी यात्री ऑनलाइन टी डी आर फाइल करेंगे।
13. सुविधा ट्रेन के लिए, 20 जनवरी 2018 से धन वापसी के नियम साधारण धन वापसी नियमों के अनुसार लागू होंगे।
14. न पर ट्रेन रद्द होने की स्थिति में स्वचालित प्रणाली द्वारा पूर्ण धनवापसी किया जायेगा। यदि ट्रेन अपने गंतव्य से आंशिक रूप से रद्द हो तो यात्री को अपने बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटों के भीतर टीडीआर दर्ज करना होगा।
15. यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के समय ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करे और ट्रेन में धूम्रपान वर्जित है।
16. ग्राहक सहायता के लिए सम्पर्क करें: 24x7 Hrs. 0755-6610661, 0755-4090600 या ई-मेल करें care@irctc.co.in
17. 1500 से अधिक ट्रेनों में भोजन के लिए विविध व्यंजन उपलब्ध हैं। अपनी सीट पर अपने पसंदीदा भोजन की डिलीवरी पाने के लिए www.ecatering.irctc.co.in पर लॉग ऑन करें या टोलफ्री नंबर 1323 पर कॉल करें। खान पान सेवाओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुझाव एवं शिकायत के लिये कृपया टोल फ्री नंबर 1800-111-321/1322 (07.00 प्रातः से 11.00 रात्रि) पर संपर्क करें।
18. मेडिकल इमरजेंसी / प्राथमिक सहायता के लिए, टिकट स्टाफ़ / गार्ड से संपर्क करें या डायल करें 138. (अखिल भारतीय यात्री हेल्पलाइन नंबर हैं 138)
19. पीएनआर और ट्रेन आगमन / प्रस्थान जानकारी नंबर 139
20. यात्रा के दौरान परेशानी की स्थिति में रिपोर्ट करने के लिए, रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 डायल करें।
21. सभी दिए गए नियम और शर्तें तभी लागू होंगे जबकि यात्रा बीमा सुविधा का विकल्प चुना गया हो। कृपया www.irctc.co.in वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध यात्रा